



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/06/43/2015/एफ.सी. / 580

दिनांक: 09.11.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

(ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/14903/2015)

विषय : Diversion of 2.1 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Rajasthan Agricultural Marketing BNoard, Division- Tonk for construction of Missing Link Road, (Dooni Anwa Road to Chadi Maata Ji Temple) under Forest Division Tonk, District Tonk, Rajasthan

सन्दर्भ- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
राजस्थान-एफ14(Road)/2016/एफसीए/प्रमुखसं/3761, दिनांक- 18.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 04.10.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन स्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (प्रभावित वन भूमि के दस गुने अवनत वन भूमि पर) उपलब्ध करायी गयी 21.00 हे० वृक्षारोपण स्थल की .kml file के DSS Analysis में से केवल 15.00 हे० भूमि ही वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शेष 6.00 हे० वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर उक्त स्थल की .kml file उपलब्ध करायी जाए तदोपरान्त ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बांरन, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विकास खण्ड, शाहाबाद, राजस्थान।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)